भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2610
मंगलवार, 4 अगस्त 2026/13 श्रावण, 1948, (शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

2610 डॉ. मन्ना लाल रावत:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में उन ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है जहां प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस), डेयरी या मत्स्य सहकारी समितियां पंजीकृत हैं;

(ख) क्या सभी ग्राम पंचायतों में प्राथमिक कृषि ऋण समिति/सहकारी समिति की स्थापना की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा राजस्थान में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये पीएसीएस सहकारी क्षेत्र में अल्पकालिक कृषि वित्त के अत्तिरिक्त सामान्य सेवा केन्द्रों, जन औषधि केन्द्रों, पेट्रोल पंपों, एलपीजी वितरण, "हर घर नल से जल" योजना के रखरखाव, गोदाम संचालन और रेलवे टिकट बुकिंग जैसी गतिविधियां भी संचालित कर रही हैं;

(घ) इन कार्यों के कंप्यूटरीकरण के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या पीएसीएस को मृत्यु और जन्म प्रमाणपत्र जैसी नागरिक सेवाओं के वितरण केंद्रों के रूप में भी विकसित किया जा रहा है; और

(च) क्या आयकर कानूनों के तहत सहकारी समितियों को अधिभार से छूट दी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस (NCD) के अनुसार, दिनांक 15.07.2026 तक देशभर की कुल 2,71,110 ग्राम पंचायतों (GPs) में से 2,59,515 ग्राम पंचायतें (95.72 प्रतिशत) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), डेयरी सहकारी समितियों अथवा मत्स्य सहकारी समितियों द्वारा आच्छादित हैं।

(ख) जी हाँ, महोदय। राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस (NCD) के अनुसार, दिनांक 15.07.2026 तक देशभर की कुल 2,71,110 ग्राम पंचायतों (GPs) में से 2,64,656 ग्राम पंचायतें (97.62 प्रतिशत) एक या अधिक सहकारी समितियों द्वारा आच्छादित हैं। राजस्थान में कुल 11,442 ग्राम पंचायतों में से 11,436 ग्राम पंचायतें (99.94 प्रतिशत) एक या अधिक सहकारी समितियों द्वारा आच्छादित हैं। राज्य-वार एवं राजस्थान के लिए जिला-वार विवरण क्रमशः **परिशिष्ट-1** एवं **परिशिष्ट-2** में संलग्न है।

(ग) सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को PACS के मॉडल उपविधियाँ प्रसारित की हैं, जिससे PACS को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित करने तथा उनके कार्यकलापों में सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। PACS को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के रूप में 300 से अधिक ई-सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाया गया है, जिनमें बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अद्यतन, स्वास्थ्य सेवाएँ, पैन कार्ड सेवाएँ तथा आईआरसीटीसी/बस/हवाई टिकट बुकिंग जैसी सेवाएँ शामिल हैं। दिनांक 15.07.2026 की स्थिति में 55,514 PACS कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के रूप में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, PACS को प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (PMBJK), पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केंद्र तथा एलपीजी वितरक संचालित करने तथा पंचायत/ग्राम स्तर पर ग्रामीण पाइप्ड पेयजल आपूर्ति योजनाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण (Operation and Maintenance - O&M) का कार्य करने की अनुमति भी प्रदान की गई है। इसके अलावा, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत PACS को गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों तथा अन्य कृषि अवसंरचना से विकसित किया जा रहा है।

(घ) PACS को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2022 में PACS के कम्प्यूटरीकरण हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजना प्रारंभ की। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान सहित देश की सभी क्रियाशील PACS को एक समान ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना है। प्रारंभ में ₹2,516 करोड़ की वित्तीय लागत से 63,000 PACS को इस परियोजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई थी। बाद में इस परियोजना का विस्तार कर 79,630 PACS को शामिल किया गया तथा परियोजना की संशोधित लागत ₹2,925.39 करोड़ कर दी गई।

(ङ) जी हाँ, महोदय। PACS को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के रूप में 300 से अधिक ई-सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाया गया है, जिनमें जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र से संबंधित सेवाएँ भी शामिल हैं।

(च) जी हाँ, महोदय। आयकर अधिनियम के अंतर्गत ₹1 करोड़ से अधिक किन्तु ₹10 करोड़ तक की कुल आय वाली सहकारी समितियों पर लागू अधिभार (Surcharge) की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दी गई है। इस कमी का उद्देश्य ऐसी सहकारी समितियों पर कर का बोझ कम करना तथा उन्हें अपने सदस्यों के हित में अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाना है।

परिशिष्ट-1

सहकारी समितियों द्वारा आच्छादित ग्राम पंचायत का राज्य-वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्राम पंचायत	आच्छादित ग्राम पंचायत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	264	150
2	आंध्र प्रदेश	13,367	12,804
3	अरुणाचल प्रदेश	2,108	1,226
4	असम	2,714	2,691
5	बिहार	8,329	8,326
6	छत्तीसगढ़	11,719	11,703
7	गोवा	191	191
8	गुजरात	14,859	14,618
9	हरियाणा	6,692	6,693
10	हिमाचल प्रदेश	3,615	3,608
11	जम्मू और कश्मीर	4,291	4,186
12	झारखंड	4,372	4,368
13	कर्नाटक	5,966	5,962
14	केरल	941	941
15	लद्दाख	193	158
16	लक्षद्वीप	15	14
17	मध्य प्रदेश	23,071	23,058
18	महाराष्ट्र	28,080	27,699
19	मणिपुर	3,184	2,401
20	मेघालय	7,056	5,762
21	मिजोरम	856	430
22	नागालैंड	1,321	990
23	ओडिशा	6,802	6,772
24	पुडुचेरी	108	107
25	पंजाब	13,250	12,954
26	**राजस्थान**	**11,442**	**11,436**
27	सिक्किम	199	199
28	तमिलनाडु	12,521	12,140
29	तेलंगाना	12,944	12,682
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	38	34
31	त्रिपुरा	1,194	1,160
32	उत्तराखंड	7,862	7,843
33	उत्तर प्रदेश	58,205	58,013
34	पश्चिम बंगाल	3,340	3,337
	कुल	**2,71,109**	**2,64,656**

स्रोत: एनसीडी पोर्टल 15.07.2026 तक

परिशिष्ट-2

राजस्थान में सहकारी समितियों द्वारा ग्राम पंचायतों के कवरेज का जिला-वार विवरण

क्रम संख्या	जिला	कुल ग्राम पंचायत	आच्छादित ग्राम पंचायत
1	अजमेर	272	241
2	अलवर	317	306
3	बालोत्रा	362	293
4	बांसवाड़ा	417	417
5	बारान	232	232
6	बार्मर	543	531
7	ब्यावर	219	163
8	भरतपुर	220	218
9	भीलवाड़ा	397	396
10	बीकानेर	366	366
11	बुंडी	184	184
12	चित्तौड़गढ़	299	299
13	चुरू	304	304
14	दौसा	284	284
15	डीग	184	184
16	धौलपुर	188	188
17	डिडवाना-कुचमन	236	236
18	डूंगरपुर	353	353
19	गंगानगर	346	344
20	हनुमानगढ़	269	268
21	जयपुर	556	525
22	जैसलमेर	206	183
23	जालोर	307	302
24	झालावाड़	254	254
25	झुंझुनू	337	336
26	जोधपुर	422	416
27	करौली	241	241
28	खैरथल-तिजारा	153	152
29	कोटा	156	156
30	कोटपुतली-बहरोड़	206	204
31	नागौर	262	262
32	पाली	264	263
33	फलोदी	234	232

क्रम संख्या	जिला	कुल ग्राम पंचायत	आच्छादित ग्राम पंचायत
34	प्रतापगढ़	234	234
35	राजसमंद	214	214
36	सलम्बर	158	157
37	सवाई माधोपुर	226	221
38	सीकर	373	372
39	सिरोही	171	170
40	टोंक	236	236
41	उदयपुर	499	499
	कुल	**11,701***	**11,436**

स्रोत: एनसीडी पोर्टल 15.07.2026 तक.

*नोट: ग्राम पंचायतों (जीपी) की कुल संख्या अलग-अलग हो सकती है, क्योंकि 259 ग्राम पंचायतें राजस्थान में एक से अधिक जिलों में समान हैं और संबंधित जिलों के तहत गिना गया है।